COHERENCE – The Multidisciplinary Research Journal
Volume No: 16, Issue No: 2, Year: 2025 (July-December)
PP: 94-100
ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

पंचायती राज संस्थाओं में दलित महिला सशक्तिकरण: बिहार के चयनित जिलों के संदर्भ में अध्ययन

डॉ राजेश कुमार पुर्वे

विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सारांश

बिहार के ग्रामीण लोकतंत्र में दलित महिला सशक्तिकरण का प्रश्न केवल चुनावी प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, स्थानीय सत्ता-साझेदारी, प्रशासनिक भागीदारी और ग्रामीण विकास की दिशा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान किया। बिहार ने 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके परिणामस्वरूप दलित महिलाओं को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे संस्थागत मंचों पर प्रवेश मिला। फिर भी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और वास्तविक सशक्तिकरण के बीच दूरी बनी हुई है। यह दूरी जातिगत पदानुक्रम, पितृसत्ता, शिक्षा की कमी, आर्थिक निर्भरता, प्रॉक्सी नेतृत्व, प्रशासनिक जटिलता और डिजिटल असमानता से निर्मित होती है। प्रस्तुत शोध-पत्र बिहार के चयनित जिलों—पटना, गया, दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया—के संदर्भ में दलित महिला सशक्तिकरण का विश्लेषण करता है। अध्ययन द्वितीयक स्रोतों, सरकारी आँकड़ों, संवैधानिक प्रावधानों और अकादमिक अध्ययनों पर आधारित है।

मुख्य शब्द: दलित महिला, पंचायती राज, बिहार, सशक्तिकरण, ग्रामीण लोकतंत्र, सामाजिक न्याय

1. प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय स्वशासन की आधारभूत इकाइयाँ हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देते हुए ग्रामसभा, नियमित चुनाव, त्रिस्तरीय व्यवस्था तथा आरक्षण को संस्थागत रूप दिया [1]। इस संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण तथा महिलाओं के लिए कम-से-कम 1/3 सीटों और पदों का आरक्षण अनिवार्य किया गया [1]। इस संवैधानिक व्यवस्था ने उन समूहों के लिए राजनीतिक प्रवेश का मार्ग खोला, जिन्हें लंबे समय तक ग्रामीण सत्ता-संरचना से बाहर रखा गया था।

बिहार का अनुभव इस दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण है। बिहार ने 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया, जिससे ग्रामीण राजनीतिक संरचना में महिलाओं की उपस्थिति व्यापक हुई [2]। भारत सरकार के अनुसार देश में लगभग 14.5 lakh निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं; साथ ही 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है [3]। यह स्थिति भारत में स्थानीय लोकतंत्र के लैंगिक विस्तार को दर्शाती है।

बिहार की सामाजिक संरचना में दलित समुदाय का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 19.65% है [4]। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं में दलित महिलाओं की भागीदारी केवल महिला प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है; यह जाति और लिंग—दोनों स्तरों पर ऐतिहासिक वंचना के प्रतिकार से जुड़ा हुआ विषय है। बिहार पंचायती राज विभाग के अनुसार राज्य में 8053 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समितियाँ और 38 जिला परिषद कार्यरत

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

हैं [5]। ePanchayat Bihar पोर्टल भी 38 जिला परिषद, 533 पंचायत समिति और 8053 ग्राम पंचायतों का उल्लेख करता है [6]। इस व्यापक संस्थागत ढाँचे में दलित महिलाओं की भूमिका ग्रामीण लोकतंत्र की गुणवत्ता को समझने का एक महत्त्वपूर्ण आधार बन जाती है।

2. अध्ययन का उद्देश्य और पद्धति

इस अध्ययन का उद्देश्य बिहार के चयनित जिलों के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं में दलित महिला सशक्तिकरण की स्थिति का राजनीतिक विश्लेषण करना है। अध्ययन निम्न प्रश्नों पर केंद्रित है: पहला, पंचायतों में दलित महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस हद तक वास्तविक निर्णय-क्षमता में परिवर्तित हुआ है; दूसरा, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर उन्हें किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है; तीसरा, चयनित जिलों में सामाजिक संरचना और पंचायत शासन के आधार पर सशक्तिकरण की संभावनाएँ किस प्रकार भिन्न दिखाई देती हैं; और चौथा, दलित महिला नेतृत्व को प्रभावी बनाने के लिए कौन-से संस्थागत सुधार आवश्यक हैं।

यह शोध-पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसमें भारत का संविधान, बिहार पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज मंत्रालय, बिहार पंचायती राज विभाग, ePanchayat Bihar, बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण 2023, NFHS-5 तथा महिला और दलित प्रतिनिधित्व से संबंधित अकादमिक अध्ययनों का उपयोग किया गया है। विश्लेषण में वर्णनात्मक, तुलनात्मक और राजनीतिक-संस्थागत पद्धति अपनाई गई है।

3. चयनित जिलों का संदर्भ

बिहार के चयनित जिलों—पटना, गया, दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया—को अध्ययन के लिए इसलिए महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि ये जिले सामाजिक संरचना, प्रशासनिक पहुँच, ग्रामीण-शहरी संपर्क, शिक्षा, प्रवास, जातिगत संरचना और विकास संकेतकों में अलग-अलग प्रकृति रखते हैं। पटना प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र होने के कारण पंचायतों में राज्य-स्तरीय योजनाओं की पहुँच को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण है। गया ऐतिहासिक रूप से सामाजिक वंचना और ग्रामीण विषमता के अध्ययन के लिए उपयोगी जिला है। दरभंगा और मधुबनी मिथिला क्षेत्र की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना तथा ग्रामीण राजनीतिक भागीदारी के विश्लेषण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन, बहु-जातीय संरचना और ग्रामीण प्रशासनिक चुनौतियों को समझने का आधार देता है।

तालिका 1: चयनित जिलों का विश्लेषणात्मक आधार

चयनित जिला	अध्ययन में प्रासंगिकता	दलित महिला नेतृत्व से संबंध
पटना	प्रशासनिक केंद्र और ग्रामीण-शहरी संपर्क	योजनाओं तक अपेक्षाकृत बेहतर पहुँच, परंतु राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अधिक
गया	सामाजिक विषमता और ऐतिहासिक वंचना	दलित प्रतिनिधित्व का सामाजिक न्याय से गहरा संबंध
दरभंगा	मिथिला क्षेत्र की ग्रामीण सामाजिक संरचना	पंचायतों में जाति, लिंग और परंपरा का संयुक्त प्रभाव
मधुबनी	प्रवास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक परंपरा	महिला प्रतिनिधियों के लिए सामाजिक स्वीकृति का प्रश्न
पूर्णिया	सीमांचल क्षेत्र की विकास चुनौतियाँ	वंचित समूहों की पंचायत-आधारित पहुँच का प्रश्न

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

4. दलित महिला सशक्तिकरण का संवैधानिक और संस्थागत आधार

दलित महिला सशक्तिकरण का संवैधानिक आधार दोहरी आरक्षण व्यवस्था से निर्मित होता है। पहला, अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में सीटें जनसंख्या अनुपात के आधार पर आरक्षित होती हैं। दूसरा, महिलाओं के लिए सीटों और पदों का आरक्षण उन्हें स्थानीय सत्ता में प्रवेश देता है [1]। बिहार में 50% महिला आरक्षण ने इस प्रक्रिया को और व्यापक बनाया [2]। इसका परिणाम यह हुआ कि दलित महिलाएँ केवल मतदाता या राजनीतिक समर्थक के रूप में नहीं, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सामने आईं।

फिर भी संवैधानिक प्रवेश को वास्तविक सशक्तिकरण मान लेना उचित नहीं है। सशक्तिकरण में प्रतिनिधि की स्वतंत्र निर्णय-क्षमता, ग्रामसभा में बोलने की क्षमता, योजना निर्माण में भागीदारी, वित्तीय समझ, प्रशासनिक संवाद, सामाजिक सम्मान और संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण शामिल हैं। यदि दलित महिला प्रतिनिधि केवल पद पर बैठी है, लेकिन निर्णय परिवार, पति, स्थानीय प्रभुत्वशाली जाति या पंचायत सचिव ले रहे हैं, तो यह स्थिति प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की है। वास्तविक सशक्तिकरण तभी माना जाएगा जब वह स्वयं पंचायत के एजेंडा, बजट और योजनाओं को प्रभावित करे।

चट्टोपाध्याय और डूफ्लो के अध्ययन ने यह प्रमाणित किया कि महिला नेतृत्व स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं की प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है [7]। बीमन आदि ने यह दिखाया कि महिला नेतृत्व के दृश्य प्रभाव से लड़कियों और महिलाओं की आकांक्षाओं में वृद्धि होती है [8]। इन अध्ययनों से यह समझ मिलती है कि दलित महिला प्रतिनिधित्व का प्रभाव केवल वर्तमान पंचायत कार्य तक सीमित नहीं है; यह आने वाली पीढ़ियों की राजनीतिक कल्पना को भी प्रभावित कर सकता है।

5. प्रतिनिधित्व से वास्तविक सशक्तिकरण तक

दलित महिला सशक्तिकरण को तीन स्तरों पर समझना आवश्यक है। पहला स्तर प्रतिनिधित्व है, जिसमें दलित महिला पंचायत में निर्वाचित होकर प्रवेश करती है। दूसरा स्तर भागीदारी है, जिसमें वह बैठकों, ग्रामसभा, योजना चयन और लाभार्थी पहचान में सक्रिय होती है। तीसरा स्तर वास्तविक सशक्तिकरण है, जिसमें वह निर्णयों को प्रभावित करती है, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की निगरानी करती है और सामाजिक दबावों का सामना करते हुए स्वतंत्र नेतृत्व करती है।

तालिका 2: दलित महिला सशक्तिकरण की अवस्थाएँ

अवस्था	मुख्य विशेषता	सीमाएँ	वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा
प्रतिनिधित्व	चुनाव जीतकर पंचायत में प्रवेश	पद तक सीमित उपस्थिति	प्रशिक्षण और अधिकार-बोध
भागीदारी	बैठक और ग्रामसभा में उपस्थिति	बोलने और प्रस्ताव रखने में कठिनाई	ग्रामसभा संचालन क्षमता
निर्णय-क्षमता	योजना, बजट और लाभार्थी चयन में प्रभाव	स्थानीय दबाव और प्रॉक्सी नियंत्रण	प्रशासनिक व वित्तीय स्वायत्तता
नेतृत्व	वंचित समूहों की आवाज बनना	जाति और पितृसत्ता का विरोध	सामाजिक समर्थन और कानूनी संरक्षण

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

बिहार के चयनित जिलों में यह प्रक्रिया समान रूप से नहीं चलती। पटना के नजदीकी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुँच अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है, परंतु राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी तीव्र होती है। गया और पूर्णिया जैसे जिलों में सामाजिक-आर्थिक वंचना दलित महिला नेतृत्व को अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकती है। दरभंगा और मधुबनी में पारंपरिक सामाजिक संरचना और जातिगत संबंध पंचायत भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं। अतः दलित महिला सशक्तिकरण को केवल राज्य-स्तरीय आँकड़ों से नहीं, बल्कि जिला-विशिष्ट सामाजिक संदर्भ से समझना आवश्यक है।

6. प्रमुख बाधाएँ

दलित महिला प्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी बाधा जाति और लिंग की संयुक्त वंचना है। वे दलित होने के कारण सामाजिक पदानुक्रम का सामना करती हैं और महिला होने के कारण पितृसत्तात्मक नियंत्रण का। यदि वे गरीब परिवार से आती हैं तो आर्थिक निर्भरता भी उनके नेतृत्व को सीमित करती है। इस प्रकार उनके सामने तीनहरी चुनौती होती है—जाति, लिंग और वर्ग।

दूसरी बाधा प्रॉक्सी नेतृत्व है। पंचायतों में कई बार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के नाम पर पति, पिता, भाई या स्थानीय पुरुष नेता निर्णय लेने लगते हैं। बिहार में महिला आरक्षण के बाद "मुखिया पति" जैसी प्रवृत्ति पर सार्वजनिक विमर्श बार-बार हुआ है [9]। यह प्रवृत्ति दलित महिला प्रतिनिधियों के मामले में और गंभीर हो सकती है, क्योंकि सामाजिक सम्मान और संसाधन-संपन्नता की कमी उन्हें पुरुष परिजनों या स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों पर निर्भर बना सकती है।

तीसरी बाधा प्रशासनिक और डिजिटल क्षमता की कमी है। पंचायत कार्य अब ग्राम पंचायत विकास योजना, eGramSwaraj, ऑनलाइन भुगतान, अभिलेख, तकनीकी स्वीकृति और सामाजिक अंकेक्षण से जुड़ गया है। यदि प्रतिनिधि को इन प्रक्रियाओं की समझ नहीं है, तो वह पंचायत सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर या पुरुष सहयोगी पर निर्भर रहती है। यह निर्भरता सत्ता-साझेदारी को कमजोर करती है।

चौथी बाधा ग्रामसभा की निष्क्रियता है। ग्रामसभा दलित महिला प्रतिनिधि के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच हो सकती है। लेकिन यदि ग्रामसभा में दलित बस्तियों की महिलाएँ शामिल नहीं होतीं, या बैठकें औपचारिकता बन जाती हैं, तो प्रतिनिधि का सामुदायिक आधार कमजोर हो जाता है। पाँचवीं बाधा राजनीतिक हिंसा, स्थानीय ठेकेदारी और संसाधन-संघर्ष है। पंचायतों में सड़क, नाली, आवास, जलापूर्ति और कल्याणकारी योजनाएँ सीधे संसाधन वितरण से जुड़ी होती हैं। ऐसे में दलित महिला प्रतिनिधि जब पारदर्शिता या न्यायपूर्ण वितरण की बात करती है, तो उसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

7. चयनित जिलों में सशक्तिकरण की संभावित प्रवृत्तियाँ

चयनित जिलों के अध्ययन से यह समझा जा सकता है कि दलित महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया स्थानीय सामाजिक संरचना से प्रभावित होती है। पटना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों और योजनाओं की सूचना तक पहुँच अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। इसलिए यहाँ दलित महिला प्रतिनिधियों के लिए क्षमता-विकास की संभावना अधिक है। लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय शक्ति-संघर्ष भी अधिक तीव्र हो सकते हैं।

गया में दलित समुदाय की सामाजिक-राजनीतिक उपस्थिति ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण रही है। यहाँ दलित महिला नेतृत्व सामाजिक न्याय के विमर्श से गहराई से जुड़ सकता है। परंतु ग्रामीण निर्धनता और जातिगत तनाव नेतृत्व को चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। दरभंगा और मधुबनी में पंचायत नेतृत्व पर जातीय समीकरण, पारिवारिक प्रतिष्ठा और पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं का प्रभाव दिखाई दे सकता है। इन जिलों में दलित महिला प्रतिनिधियों के लिए ग्रामसभा और स्वयं सहायता समूहों का सहयोग निर्णायक हो सकता है। पूर्णिया जैसे सीमांचल क्षेत्र में विकास की असमानता, शिक्षा की कमी और प्रशासनिक दूरी दलित महिला प्रतिनिधियों के काम को प्रभावित कर सकती है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

तालिका 3: चयनित जिलों में दलित महिला प्रतिनिधियों की संभावित चुनौतियाँ और अवसर

जिला	प्रमुख चुनौती	प्रमुख अवसर
पटना	राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय प्रभुत्व	प्रशासनिक पहुँच और प्रशिक्षण सुविधा
गया	जातिगत तनाव और आर्थिक वंचना	सामाजिक न्याय आधारित नेतृत्व की संभावना
दरभंगा	पारंपरिक सामाजिक संरचना	महिला समूहों और पंचायत नेटवर्क का उपयोग
मधुबनी	प्रवास और घरेलू निर्भरता	सामुदायिक संगठनों से नेतृत्व विस्तार
पूर्णिया	शिक्षा और प्रशासनिक दूरी	वंचित समूहों की सामूहिक लामबंदी

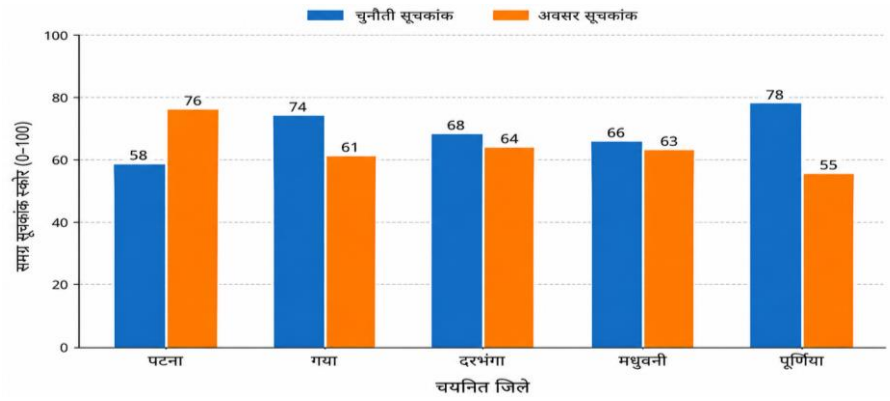

चित्र 1: चयनित जिलों में "चुनौती सूचकांक" और "अवसर सूचकांक" का तुलनात्मक बार-चार्ट।

8. दलित महिला नेतृत्व और विकास प्राथमिकताएँ

दलित महिला प्रतिनिधियों की सक्रियता पंचायत विकास की दिशा को अधिक न्यायपूर्ण बना सकती है। उनके नेतृत्व में दलित बस्तियों की सड़क, नाली, जलापूर्ति, आवास, शौचालय, राशन, पेंशन, आंगनवाड़ी और विद्यालय जैसी समस्याएँ अधिक स्पष्ट रूप से सामने आ सकती हैं। यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण विकास योजनाएँ कई बार प्रभावशाली समूहों के दबाव में असमान रूप से वितरित होती हैं।

दलित महिला नेतृत्व ग्रामीण लोकतंत्र में "अनुभव आधारित राजनीति" को स्थान देता है। जिस महिला ने स्वयं जल, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, भेदभाव और संसाधन-वंचना की समस्याएँ देखी हैं, वह पंचायत योजना में इन मुद्दों को अधिक संवेदनशीलता से उठा सकती है। NFHS-5 बिहार रिपोर्ट ग्रामीण सामाजिक विकास की चुनौतियों को रेखांकित करती है, विशेषकर शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े संकेतकों में लैंगिक अंतर के संदर्भ में [10]। अतः दलित महिला प्रतिनिधियों को केवल राजनीतिक पदाधिकारी नहीं, बल्कि सामाजिक विकास की स्थानीय वाहक के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

9. नीति सुझाव

दलित महिला सशक्तिकरण को वास्तविक रूप देने के लिए केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं है। पहला, दलित महिला प्रतिनिधियों के लिए अलग और अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण केवल भाषण-प्रधान न होकर व्यवहारिक होना चाहिए, जिसमें पंचायत बजट पढ़ना, ग्रामसभा

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

संचालन, योजना प्रस्ताव लिखना, eGramSwaraj का उपयोग, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण शामिल हों।

दूसरा, प्रत्येक प्रखंड में दलित महिला पंचायत प्रतिनिधि सहायता केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। यह केंद्र कानूनी सलाह, डिजिटल सहायता, दस्तावेजी सहयोग और योजना मार्गदर्शन प्रदान करे। तीसरा, ग्रामसभा को दलित बस्तियों और वंचित टोले तक ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, पंचायत योजनाओं में बस्ती-वार व्यय और लाभार्थी सूची को सार्वजनिक करना चाहिए। पाँचवाँ, प्रॉक्सी नेतृत्व रोकने के लिए बैठक में निर्वाचित प्रतिनिधि की वास्तविक उपस्थिति और स्वतंत्र हस्ताक्षर सुनिश्चित किए जाएँ। छठा, स्वयं सहायता समूहों, जीविका समूहों, आंगनवाड़ी सेवाओं और दलित महिला प्रतिनिधियों के बीच संस्थागत समन्वय बनाया जाए। सातवाँ, जिला स्तर पर दलित महिला प्रतिनिधियों का नेटवर्क बनाया जाना चाहिए, ताकि वे अनुभव, रणनीति और समस्याओं को साझा कर सकें।

10. निष्कर्ष

बिहार की पंचायती राज संस्थाओं में दलित महिला सशक्तिकरण लोकतंत्र की गहराई को मापने का महत्त्वपूर्ण मानदंड है। आरक्षण ने दलित महिलाओं को पंचायत सत्ता में प्रवेश दिया है, लेकिन प्रवेश और सशक्तिकरण समानार्थी नहीं हैं। वास्तविक सशक्तिकरण तब होगा जब दलित महिला प्रतिनिधि ग्रामसभा में बोलेंगी, पंचायत योजना में हस्तक्षेप करेंगी, बजट और संसाधन-वितरण को समझेंगी, प्रशासन से संवाद करेंगी और जाति-पितृसत्ता के दबावों का सामना करते हुए स्वतंत्र नेतृत्व करेंगी।

चयनित जिलों का संदर्भ बताता है कि सशक्तिकरण की प्रक्रिया स्थानीय सामाजिक संरचना, प्रशासनिक पहुँच, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और सामुदायिक समर्थन पर निर्भर करती है। पटना, गया, दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया जैसे जिलों में दलित महिला प्रतिनिधियों के सामने चुनौतियाँ भिन्न हो सकती हैं, परंतु मूल प्रश्न समान है—क्या वे केवल पंचायत में उपस्थित हैं, या पंचायत के निर्णयों को प्रभावित भी कर रही हैं। भविष्य की नीति का लक्ष्य दलित महिलाओं को केवल निर्वाचित प्रतिनिधि बनाना नहीं, बल्कि उन्हें निर्णयकारी, स्वायत्त, प्रशिक्षित और सम्मानित ग्रामीण नेता बनाना होना चाहिए। यही बिहार के ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक न्यायपूर्ण, सहभागी और समावेशी बना सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार। भारत का संविधान: 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992. नई दिल्ली: भारत सरकार, 1992।
2. बिहार सरकार। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006. पटना: बिहार सरकार, 2006।
3. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार। “पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा.” नई दिल्ली, 2025।
4. बिहार सरकार। बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2023. पटना: बिहार सरकार, 2023।
5. पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार। “बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान संरचना.” पटना, 2026।
6. ई-पंचायत बिहार। “पंचायती राज संस्थागत डैशबोर्ड.” पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, 2026।
7. आर. चट्टोपाध्याय एवं ई. डुफ्लो। “वीमेन ऐज़ पॉलिसी मेकर्स: एविडेंस फ्रॉम अ रैंडमाइज़्ड पॉलिसी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया,” इकोनोमेट्रिका, खंड 72, संख्या 5, पृ. 1409–1443, 2004।

© Copyright @ Authors

ISSN: 0976-5301
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.85)
Journal Website www.coherencejournal.in

8. एल. बीमन, ई. डुफ्लो, आर. पांडे एवं पी. टोपलोवा। "फीमेल लीडरशिप रेज़ेज़ एस्पिरेशन एंड एजुकेशनल अटेनमेंट फॉर गर्ल्स: अ पॉलिसी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया," साइंस, खंड 335, संख्या 6068, पृ. 582–586, 2012।
9. एस. सुप्रिया। "आउटकम ऑफ वीमेन'स रिज़र्वेशन इन पंचायती राज इंस्टिट्यूशन्स इन बिहार," इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, खंड 6, संख्या 3, 2024।
10. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज़ एवं आई.सी.एफ.। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2019–21: बिहार. मुंबई: आई.आई.पी.एस., 2021।

© Copyright @ Authors